रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276438
SG-DL-E-23092026-276438

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 215
No. 275]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 215

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

फा. सं. 194/SF/Gen/2026—सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विधिज्ञ परिषद के 23 चुने गए सदस्यों के नामों को एनसीटी दिल्ली सरकार के अधिकारीक गज़ट में प्रकाशित करने और उसके बाद 01.09.2026 को दिल्ली गज़ट, भाग-IV, असाधारण में प्रकाशित करने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली द्वारा 20.08.2026 को जारी अधिसूचना के क्रम में, दिल्ली विधिज्ञ परिषद में सह-चयनित (co-opted) शेष दो महिला सदस्यों के नामों की अधिसूचना जारी की जा रही है।

दिल्ली विधिज्ञ परिषद में 25 सदस्य होते हैं। 23 सदस्यों के लिए चुनाव 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को हुए थे। चुने गए 23 सदस्यों के नामों की जानकारी विधिवत रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आधिकारिक गजट में दी गई थी, जो 28.08.2026 को दिल्ली गजट, भाग-IV, असाधारण (Extraordinary) में प्रकाशित हुआ था।

भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सिविल) नंबर 581/2024 (योगमाया एम.जी. बनाम भारत संघ व अन्य) में 04.08.2026 को पारित आदेश और रिट याचिका (सिविल) नंबर 1049/2026 (एम. वरधन बनाम भारत

संघ व अन्य) में 02.09.2026 को पारित आदेश के तहत दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दो महिला वकीलों को दिल्ली विधिज्ञ परिषद का सदस्य बनाने के लिए नामित किया है। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार के कार्यालय से 15.09.2026 को मिले पत्र (रेफरेंस नंबर 436/DHC/Mgt. & Coord. Cell-I) के ज़रिए जानकारी दी गई है।

नामित महिला सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

1. सुश्री सोनिया माथुर, सीनियर एडवोकेट (एनरोलमेंट नंबर D/328/1990)

2. सुश्री मोनिका अरोड़ा, एडवोकेट (एनरोलमेंट नंबर D/912/2007)

ऊपर बताई गई दोनों महिला वकीलों को दिल्ली विधिज्ञ परिषद का को-ऑप्टेड सदस्य (सह-सदस्य) घोषित किया जाता है। इसके साथ ही, दिल्ली विधिज्ञ परिषद का गठन पूरा हो गया है और इसमें सदस्यों की पूरी संख्या 25 हो गई है।

इसके अनुसार, सह-चयनित महिला सदस्यों के नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजे जा रहे हैं।

कर्नल अरुण शर्मा (रिटायर्ड), सचिव

BAR COUNCIL OF DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 15th September, 2026

F. No. 194/SF/Gen/2026.— It is hereby notified for the information of all concerned that, in continuation of the Notification issued by the Bar Council of Delhi dated 20.08.2026 regarding the publication of the names of 23 elected members of the Bar Council of Delhi in the Official Gazette of the Government of NCT of Delhi, and the subsequent publication thereof in the Delhi Gazette, Part-IV, Extraordinary, dated 01.09.2026, the names of the remaining two women members co-opted to the Bar Council of Delhi are hereby notified.

The Bar Council of Delhi consists of 25 members. Elections for 23 members were conducted on 21st, 22nd and 23rd February 2026. The names of the 23 elected members were duly notified in the Official Gazette of the Government of the National Capital Territory of Delhi, published in the Delhi Gazette, Part-IV, Extraordinary, dated 28.08.2026.

In compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 04.08.2026 passed in Writ Petition (Civil) No. 581 of 2024, titled *Yogamaya M.G. Vs. Union of India & Ors.*, and the further order dated 02.09.2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in W.P.(C) No. 1049 of 2026, titled *M. Varadhan Vs. Union of India & Ors.*, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi has nominated two women lawyers to be co-opted as members of the Bar Council of Delhi, as intimated vide communication bearing Ref. No.436/DHC/Mgt. & Coord. Cell-I dated 15.09.2026, received from the office of Joint Registrar, Delhi High Court.

The names of the nominated women members are as follows:

1. Ms. Sonia Mathur, Senior Advocate (Enrolment No. D/328/1990)
2. Ms. Monika Arora, Advocate (Enrolment No. D/912/2007)

The aforesaid two women lawyers are hereby notified as the co-opted members of the Bar Council of Delhi, thereby completing the constitution of the Bar Council of Delhi with its full strength of 25 members.

Accordingly, the names of the two co-opted women members are hereby forwarded for publication in the Official Gazette of the Government of the National Capital Territory of Delhi.

Col. ARUN SHARMA (Retd.), Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.